उक्त तनकी का भार वादीया के जिम्मे रहा है के संबध में जब तनकी सं0 01, 02, 03, 04 व 05 पूर्ण रूप से वादीया के हक में साबित हो चुकी है तो यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध होकर वादीया के हक में स्पष्टतः साबित है।

वकील उभय पक्षारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने वादपत्र के समस्त ज़िम्मनों को दौहराते हुए वादीया के वाद को डिक्री किया जाकर समस्त प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्यों के कथनों को दौहराते हुये विवादित आराजी में से 1/7 भाग से जमना का नाम गैर खातेदारी के अंकन को हजफ किया जाकर वादीया के नाम का अंकन किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र को दौहराते हुये वादीया के वाद को मय हर्जे खर्चे खारीज किये किया जाने का निवेदन किया।

वकील उभय पक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किये जाने पर तनकीवार मनन करने पर यह न्यायालय वादीया के वाद को स्वीकारोक्त पाता है।

—:: आदेश ::—

अतः यह न्यायालय वादीया के वाद को बहक वादीया बर खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य पाये जाने पर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी ख0न0 28/0.43, 71/024, 76/0.29, 77/0.25 ह0 वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल राजस्व रिकॉर्ड में से 1/7 भाग से जमना के नाम गैर खातेदारी के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त समस्त विवादित आराजी के बाबत वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, अर्थात समस्त आराजी के बाबत वादीया के नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

27.02.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

Scanned by CamScanner